09/22

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील अनुपस्थित। न्यायालय में बार-बार आवाज लगवाने के बावजूद सायं 5.00 बजे तक वादी एवं वादी वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

अतः प्रकरण अदमहाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली अदम पैरवी में फैसल शुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे।

वाद मूर्ति दफ्तर दाखिल हो।

SDO